The Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012

Act 11 of 2013

Keyword(s):
Shram Kalyan Nidhi, Labour, Welfare, policy

Amendment appended: 20 of 2014

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] भोपाल, शनिवार, दिनांक 2 फरवरी 2013—माघ 13, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2013

क्र. 746-42-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28 जनवरी 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ११ सन् २०१३

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, २०१२

[दिनांक २८ जनवरी, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक २ फरवरी, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्र. ३६ सन् १९८३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (३) में, उप-खण्ड (ख) में, शब्द "एक हजार छह सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपये" स्थापित किए जाएं.

धारा ९ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ९ में,—

(एक) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(२) यदि किसी कर्मचारी का नाम किसी स्थापन के रजिस्टर में किसी कैलेण्डर वर्ष में (अर्थात् जनवरी से दिसम्बर तक) तीस कार्य दिवसों को दर्ज रहता है, तो ऐसे प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्रत्येक छह मास में (अर्थात् ३० जून तथा ३१ दिसम्बर को) देय अभिदाय की रकम केवल

दस रुपये होगी और प्रत्येक ऐसे कर्मचारी के लिए नियोजक द्वारा प्रत्येक छह मास में देय अभिदाय की रकम तीस रुपये होगी :

परन्तु प्रत्येक छह मास में नियोजक के अभिदाय की रकम एक हजार पांच सौ रुपये से कम नहीं होगी.'';

(दो) उपधारा (३) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

''परन्तु १५ जुलाई और १५ जनवरी को समाप्त होने वाले छह मास के पूर्व मण्डल को दो या अधिक कालावधि के अभिदाय का अग्रिम भुगतान करने पर, नियोजक को पांच प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी तथा उक्त छह मास की कालावधि समाप्त होने के पश्चात् भुगतान करने पर उतने प्रतिशत जुर्माना, जो कि दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, अधिरोपित किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, अवधारित किया जाए.''.

धारा ३१ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ३१ में,—

(एक) उपधारा (१) में,—

(क) खण्ड (क) में, शब्द ''पांच सौ रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपये'' स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द ''एक हजार रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''दस हजार रुपये'' स्थापित किए जाएं;

(ग) परन्तुक में, शब्द ''एक सौ रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''दो हजार रुपये'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में शब्द ''दो हजार रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''बीस हजार रुपये'' स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2013

क्र. 747-42-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 11 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 11 OF 2013

THE MADHYA PRADESH SHRAM KALYAN NIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2012.

[Received the assent of the Governor on the 28th January, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 2nd February, 2013.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983) (hereinafter referred to as the Principal Act), in clause (3), in sub-clause (b), for the words "one thousand and six hundred rupees" , the words "ten thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of Section 9.

3. In Section 9 of the Principal Act,—

(i) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(2) If the name of the employee stands on the register of an establishment on thirty working days in a calendar year (that is January to December), the amount of contribution payable every six months, (that is on 30th June and on 31st December) by every employee shall be ten rupees only and by an employer for each such employee shall be thirty rupees payable every six months :

Provided that the employer's contribution payable every six months shall not be less than one thousand five hundred rupees.";

(ii) in sub-section (3), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that an incentive amount of five percent shall be given to employer on advance payment of two or more period of contribution before six months ending of 15th day of July and 15th day of January to the Board and such percentage of fine shall be imposed as determined by the State Government, by notification, which shall not exceed ten percent, on payment after ending of said six months period.".

Amendment of Section 31.

4. In Section 31 of the Principal Act,—

(i) in sub-section (1),—

(a) in clause (a), for the words "five hundred rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted;

(b) in clause (b), for the words "one thousand rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted;

(c) in the proviso, for the words "one hundred rupees", the words "two thousand rupees" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), for the words "two thousand rupees", the words "twenty thousand rupees" shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 637] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2014—पौष 9, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 2014

क्र. 7512-347-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 दिसम्बर 2014 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २०१४

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, २०१४

[दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा.

धारा १४-घ का अन्तः स्थापन.

२. मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ३६ सन् १९८३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १४-ग के पश्चात्, अध्याय-३ में, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

रजिस्टर तथा अभिलेख संधारित करने के लिये समेकित प्ररूप तथा नियोजकों द्वारा प्रतिवेदनों तथा विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना.

''१४-घ. इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, आदेश द्वारा, किसी नियोजक या स्थापना द्वारा रजिस्टरों को संधारित करने और प्रतिवेदन तथा विवरणियां प्रस्तुत करने के लिये समेकित प्ररूप प्रकल्पित (डिवाइस) कर सकेगी या अधिसूचित कर सकेगी :

परन्तु सरकार रजिस्टर और अभिलेख को कम्प्यूटरीकृत या डिजीटल फार्मेट में संधारित करने के लिये अनुज्ञात कर सकेगी.''.

धारा २८ का स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा २८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

छूट.

''२८ (१) इस अधिनियम में की कोई भी बात, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, २००६ (२००६ का २७) के अधीन सूक्ष्म उद्योग के रूप में वर्गीकृत किसी स्थापना या औद्योगिक सत्ता को लागू नहीं होगी.

(२) उपधारा (१) के उपबंधों के होते हुए भी, राज्य सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि कर्मकारों के हित में ऐसा करना आवश्यक है, किसी सूक्ष्म उद्योग या सूक्ष्म उद्योगों के वर्ग को प्रदान की गई कोई छूट, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वापस ले सकेगी.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

४. (१) मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि संशोधन अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ८ सन् २०१४) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. 7513-347-इक्कीस-अ(प्रा.)अधि..—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 20 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 20 OF 2014

THE MADHYA PRADESH SHRAM KALYAN NIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2014

[Received the assent of the Governor on the 29th Decemeber 2014; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 30th December, 2014].

An act further to amend the Madhya Pradesh Shram Kalyam Nidhi Adhiniyam, 1982.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fifth year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Insertion of section 14-D.

2. After section 14-C of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following section shall be inserted, in Chapter III, namely:—

Consolidated forms to maintain registers and records and furnishing of report and returns by employers.

"14-D. Notwithstanding anything contained in any other provision of the Act, Gvoernment may, by order, devise or notify consolidated forms for maintaining registers and furnishing reports and returns by an employer or establisement :

Provided that the Government may allow the registers and records to be maintained in computerised or digital formats.".

Substitution of section 28.

3. For section 28 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Exemption

"28. (1) Nothing in this Act shall apply to an establishment or industrial entity classified as 'Micro Industry' under the Micro, small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (No. 27 of 2006).

(2) Notwithstanding the provisions of sub-section (1), the State Government may withdraw, partially or fully, any exemption granted to any Micro Industry or category of Micro Industries, if it is satisfied that it is so required in the interest of workers.".

Repeal and saving.

4. The Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2014 (No. 8 of 2014) is hereby repealed.

(2) (1) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, any thing done on any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014